(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7175–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–6–2016 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला भोपाल प्रकरण कमांक 373/बी–103/2015–16/धारा 33.

दीपक सिंह निगम पुत्र स्व. सरताज सिंह निगम
निवासी एम.एल.सी. क्वार्टस नं. 1/5
ओल्ड बी–11, बैरागढ़, भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

युवराज सिंह निगम पुत्र स्व. सरताज सिंह निगम
निवासी 3/2 संत कबीर नगर
नानाखेडा, उज्जैन .....अनावेदक

श्री अमित गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/6/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47–ए (4) के अंतर्गत कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत करना थी, परन्तु आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत की गई है । अतः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29–9–2016 को अपील को निगरानी में परिवर्तित किया गया है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, भोपाल द्वारा पत्र कमांक 27/2016 दिनांक निरंक से आपसी बटवारा पत्र पर्याप्त मुद्रांक शुल्क निर्धारित कर वसूली हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला भोपाल को भेजा गया ।

कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 373/बी–103/2015–16/धारा 33 दर्ज कर दिनांक 29–6–2016 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन सम्पत्ति का बाजार मूल्य रूपये 1,68,500/– निर्धारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 6,740/– निर्धारित करते हुए उक्त राशि का 10 गुना 67,400/– रूपये शास्ति अधिरोपित करते हुए कुल रूपये 74,140/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि बटवारा पत्र का पंजीयन आवश्यक नहीं है, और न ही उस पर मुद्रांक शुल्क देय है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अधिकतम 10 गुना शास्ति अधिरोपित करने में त्रुटि की गई है । उनके द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–एक भोपाल के पत्र कमांक 27/2016 से बटवारा पत्र पर्याप्त मुद्रांक शुल्क निर्धारण हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प से प्राप्त होने पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुये प्रश्नाधीन संपत्ति का बाजार मूल्य रुपये 1,68,500/– निर्धारित कर कमी मुद्रांक शुल्क रुपये 6,740/– जमा कराने के आदेश दिये गये, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । चूँकि आवेदक द्वारा मुद्रांक शुल्क का अपवंचन किया गया है इसलिये 10 गुना शास्ति अधिरोपित करने में भी कोई त्रुटि नहीं की गई है । अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर आफ स्टाम्प, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–6–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर